

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्र.813 / 2014

संस्थित दिनांक-08.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1. महेश कुमार पिता सूरजलाल प्रसाद, उम्र 34 साल,

निवासी करवाही, थाना बैहर जिला बालाघाट

2. ज्ञानसिंह पिता कलम सिंह, उम्र 45साल,

निवासी पोला पटपरी, थाना रूपझर जिला बालाघाट

3. राजेन्द्र बर्वे पिता गुहदड लाला, उम्र 35 साल,

निवासी करवाही, थाना बैहर जिला बालाघाट

4. माहुलाल पिता तीजूलाल, उम्र 48 साल,

निवासी करवाही, थाना बैहर जिला बालाघाट

5. रामेश्वर पिता नानूलाल, उम्र 36 साल,

निवासी करवाही, थाना बैहर जिला बालाघाट

6. गंगादास पिता रवजादास, उम्र 38 साल,

निवासी करवाही, थाना बैहर जिला बालाघाट

7. बिरसिंह पिता जीवनसिंह, उम्र 48 साल,

निवासी पोला पटपरी, थाना रूपझर जिला बालाघाट

8. देवेन्द्र पिता स्व. मनोहरसिंह, उम्र 34 साल,

निवासी पोला पटपरी, थाना रूपझर जिला बालाघाट — — — — — आरोपीगण

—निर्णय

(आज दिनांक 08.09.2013 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की

परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 सार्व धूत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्धि कर 100-100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रुपये 2600/- (दो हजार छः सौ रुपये) राजसात किये जावे तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

बैहर
दिनांक-08.09.2013

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला-बालाघाट